

क्रमांक: निर्देश / जारी अनुच्छा / अध्यापक / 2017-18 /

**1174****आदेश**

निदेशालय सचिवत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिक्षापत्र संख्या-2/2017-18 दिनांक 05.02.2018 एवं सशोषित विज्ञापन दिनांक 06.02.2018 के तहत अध्यापक लेवल हितीय (कक्षा 6-8) गणित-विज्ञान अध्यापक नैन शिखरसाही/ शिखरसाही द्वारा 2017 तेजु प्राप्त औनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर अस्टट/ शीट के प्राप्तिजनक दूसी के आधार पर दसामें तथापन की कार्यवाही उपरान्त पत्र पाये जाने पर वरीयतानुसार बयन किए जाने के फलस्वरूप चयनित अध्यापियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख ऑफिस संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यवाही करने की लिख से दो रक्ष के बरीवाहा काल पर नियम १५(१) के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- वित्त विभाग की अधिकृत पद हेतु वरीयता विभिन्न कर्मांक पक्ष १५(१) वित्तविभाग/2013 दिनांक ३०.१०.२०१७ एवं कर्मांक पक्ष १५(१) वित्तविभाग/2017 दिनांक ०९.१२.२०१७ द्वारा राजस्थान सिविल सेवानियुक्ति देतनामान वियम 2017 के अनुसार नाम की दो रक्ष का परीवाहाकाल सचिवतापूर्वक पुर्ण करने के पश्चात् लेवल-10 से लाखे ३३००/- घृताम देवन एवं उसके साथ नियमानुसार जारी होगा।
- राजस्थान सिविल सेवा मुनीसित देवन वियम 2017 के नियम १६ के अनुसारी (पञ्च) के अनुसार वरीवाहाकाल में नियत पारिश्रमिक लाप्ये २३८०/- प्रतिमाह देय होगा।

- राज्य सरकार की अधिकृत पद विभाग क्रमांक ४/१(१)वित्त/विभाग/०३दिनांक ०२.०८.२००५ द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अध्यापक विभाग) वियम 2005 के ग्राहनान लागू होगे।
- राज्य सरकार की अधिकृत पद विभाग क्रमांक ६/६(१) वित्त(विभाग)/७७ दिनांक १४.०१.२००४ द्वारा जारी सशोषित मयन क्रम वियम लागू होगे।
- राज्य सरकार की अधिकृत पद विभाग क्रमांक ४/१(१) कार्यालय/क-२/२५ दिनांक ०८.०४.२००३ द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होगे।

- प्रथम पदस्थापन संघान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रोत्तेवाच रहेगा।
- नियम १. अध्यापी अधिकृत संस्कृत केवल पर्याप्तता के लिए विभिन्न कार्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संविदेश सम्मुख भाषाएँ गो नियमित जिवा जाता है तो कार्यवाही करने से पूर्ण अभिज्ञान से पर्याप्त करने के अनुरूप याचारी, जन्म लिख, आदि शिल्पों भाषाएँ, जारी (प्रत्येक) आदि सभी मूल भाषाएँ पर्याप्त कर पाए जाएं ताकि नेतृत्व के लिए विभिन्न साधारण अधिकारी द्वारा जारी स्वाक्षर अधिकारी द्वारा जारी स्वाक्षर अधिकारी को लक्षित पदभविता विभावन में कार्यवाही हो जिवायें।
- संविदेश अधिकारी को कार्यवाही करने से पूर्ण नीतिकाल नान-नियमीलेपर नियुक्ती जारी की विभा की आय के आधार पर जारी अधिकृत पद प्रदूषण करना होगा।
- अध्यापी से पुलिस विभाग संघान पाया कर कार्यालय करवायें। पुलिस विभाग संघान के अधीक्षण में ६ माह की अवधि से पुलिस विभाग संघान प्रस्तुत करने पर कई अपरिवारिक प्रक्रमान्वयन लिखित न होने का शायद पर प्रस्तुत करने पर ३ अध्यापी को कार्यवाही करवायें।
- गढ़े जाने साथ कई अध्यापी जिवा जिवान में कार्यवाही करने के अन्तिम प्रक्रमान्वयन पर कर्तव्यमुक्त आदेश/ तथापन प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रदूषण करने के पश्चात् तथा विभिन्न अध्यापकों ने दो जो पहले से वाय सेवा में नियमित कार्यक के कार्य के लिए नेतृत्व करने का विकल्प कार्यक द्वारा प्रस्तुत किया जाने प्रदूषण अड्डे से करवायें।
- अध्यापी जो भाषा के सामिन ने द्वितीय जिवा जिवान की शायद नियुक्ति की शायद नियुक्ति पर लागू हों।

- नियुक्ति कार्यकों को दिनांक ०१ फरवरी, २०१९ तक काप्रथम करना होगा तथा विभाग माना जायेगा।

**दिनांक १७/०१/२०१९****२०८८**

۱۷۴

दिनांक: १७/०१/२०१९

**कर्मांक नियमणि/यती अनुमान/अव्यापक/2017-18/प्रतिलिपि नियन्त्रिति को मूल्यांक एवं आवश्यक कर्मावली हेतु प्रसिद्ध है-**

2. श्रीमान मुख्यमंत्री राजनीति, शिला (मुख्य-६) निराम वर्तमान सरकार, लग्जरूप।
  3. श्रीमान विप्रिय राजव्यक्त, गानधीय दिव्यांग भाषण, राजस्थान राजकार, लग्जरूप।
  4. श्रीमान मुख्य विकासी पर्यावरण अधिकारी, सरकारी विला —————।
  5. संचालित सामाजिक सेवकों विला अधिकारी / अप्पमुर / अप्पमेर / श्रीकान्त (मुख्य) / बोटा / उदयपुर / चतुर्पुर।
  6. संचालित संगठन एवं संस्थानी (एवं विविध संस्थानी / विविध संस्थानी) को खेजकर लेल हैं कि अन्यथा के बायोरण करते ही इसकी दृष्टिगती अवैतनिक समाज एवं निरोगान्वय में निजाताएँ।
  7. संबंधित संस्थानाघान।
  8. संबंधित अध्यय्यी।
  9. संस्थान अनुनान निर्देशालय संस्कृत विला लालकूरान को यात्रियां पर्लेका हैं।
  10. सरकार याजिका।

211

संस्कृत शिला दर्शन संग्रहालय, जयपुर